150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान सरकार
आयोजना (परीवीक्षण)विभाग

क्रमांकः प.5(9)आयो./3/2019 दिनांकः– 10.06.2020

परिपत्र

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 13.05.2020 द्वारा राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे 19 कार्यक्रमों को स्टेट फ्लेगशिप कार्यक्रम घोषित किया गया था। उक्त आज्ञा के क्रम में स्टेट फ्लेगशिप कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना जिला कलेक्टरो एवं जिला स्तरीय कार्यालयों द्वारा सीधे ही मुख्यमंत्री कार्यालय एवं आयोजना विभाग को प्रेषित की जा रही है, जिससे कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग सुव्यवस्थित रूप से नहीं हो पा रही है।

अतः समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर एवं विभागाध्यक्षों से अपेक्षित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ विभागों/एजेंसियों को निर्देश प्रदान करें कि स्टेट फ्लेगशिप कार्यक्रमों की प्रगति की सूचना, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं आयोजना विभाग को सीधे ही न भिजवाकर, कार्यक्रम क्रियान्वित करने वाले संबंधित विभागाध्यक्ष को ही भिजवाये। स्टेट फ्लेगशिप कार्यक्रम क्रियान्वित करने वाले संबंधित विभागाध्यक्ष इकजाई सूचना तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय एवं आयोजना विभाग को निर्धारित प्रपत्रों में प्रत्येक माह की 7 तारीख तक प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगें।

(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिवगण
3. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर/विभागाध्यक्ष
4. समस्त निगम/बोर्ड/स्वायत्तशाषी संस्थाएँ
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव
6. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, कम्प्यूटर शाखा, आयोजना विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु

संयुक्त शासन सचिव